

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518, न्यू मोदी बंगला, एम.जी.रोड इन्दौर- 452007
Phon : 0731-2432822, Fax 0731-253600

परिपत्र क्र. 16

क./अ.श.बा.क.क.म./2018/29090-367
प्रति,

इन्दौर दिनांक 24-7-18

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला-पंचायत
4. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश।
5. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी
सहायक श्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय:- मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर गठित निगरानी समिति के सदस्यों को "संबल सहयोगी" के नाम से संबोधन ।

-- 00 --

उपरोक्त विषय में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 595/2018/ए-16 दिनांक 30.05.2018 के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को प्रत्येक ग्राम पंचायत/वार्ड में निगरानी समिति के गठन के निर्देश दिये गये थे। तदनुसार सभी जिलों में ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर निगरानी समितियों का गठन किया जा चुका है ।

मध्यप्रदेश शासन की मंशा अनुसार निगरानी समिति के सदस्यों को "संबल सहयोगी" के नाम से संबोधित किया जावेगा। संबल सहयोगियों द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिकों के हितसंवर्धन हेतु पंजीयन कार्य में, पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने में, तथा उन्हें होने वाली कठिनाईयों का समाधान कराने का प्रयास किया जावेगा।

(राजेश बहुगुणा)

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर

भोपाल, दिनांक 24-7-18

प.क.मांक/ /श्रमवि/2018 29368-69
प्रतिलिपि,

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

श्रमायुक्त

मध्यप्रदेश, इन्दौर